उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद – 50/2021

चिंता देवी वगै० बनाम् राज्य एवं सोमेन दास गुप्ता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख
10.02-2023	यह वाद अपीलार्थी चिंता देवी, पति–रामदेव गोप, चिना देवी, पति–रमेश गोप, दोनों का सा०–बुजुर्ग जमीरा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–24/2018–19 सोमेन दास गुप्ता बनाम् श्रीमति चिंता देवी वगै० में दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–401, रकवा–0.2350 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–401, रकवा–0.2350 ए० भूमि सर्वे खतियान में मनोरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–401, रकवा–0.2350 ए० भूमि सर्वे खतियान में मनोरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता के नाम से रैयती दर्ज है। खतियानी रैयत सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता की आविवाहित रहते हुए ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार खाता संख्या–118 की पुरी भूमि मनोरंजन दास गुप्ता की हो गई। मनोरंजन दास गुप्ता के मृत्यु के पश्चात उनके एकलोते पुत्र सोमेन दास गुप्ता को सारी सम्पति प्राप्त हो गई, सोमेन दास गुप्ता ने निबंधित मुख्तारनामा संख्या–IV/15 दिनांक–04.01.2014 से रमेश गोप, पिता–रामदेव गोप को खाता नं०–118 प्लॉट नं०–87 रकवा–4.97 ए० भूमि का मुख्तारनामा कर दिया गया। जिसमें भूमि बिक्री एवं संरक्षण का अधिकार दिया गया है जिसके आलोक में रमेश गोप ने खाता संख्या–118 प्लॉट संख्या–401 रकवा–0.23½ ए० भूमि निबंधित केवाला संख्या–3267, दिनांक–27.10.2014 के द्वारा श्रीमति चिंता देवी को बिक्री किया गया। उक्त केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, पतरातू के कार्यालय में	

दाखिल खारिज वाद संख्या–193R27/2018-19 दायर किया गया है। राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण करते हुए क्रेता का दखल कब्जा पाते हुए दाखिल खारिज स्वीकृत कर लगान रसीद निर्गत किया गया। उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील संख्या–24/2018–19 दायर किया गया। जिसमें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने बिना पुरी बात सुने यह कहते हुए की आपति आवेदन के सुनवाई के बिना आदेश पारित हुआ है। इस लिए अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा स्वीकृत दाखिल खारिज आदेश को निरस्त करते हुए पुनः नोटिस निर्गत कर सुनवाई करते नियमसंगत आदेश पारित करने का आदेश पारित किया गया जो नियमसंगम नही है। क्योंकि हल्का कर्मचारी के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है आपति कर्ता मिना विश्वास बांटवारा वाद संख्या–249/13 की छायाप्रति में दिये गये वंशावली में नहीं आती है। उक्त बांटवारा में कोई स्थगन आदेश अथवा प्रभावकारी पारित आदेश आपति कर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। खरीदगी भूमि पर क्रेताओं का दखल कब्जा है। अतः दाखिल खारिज की स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट है कि भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है एवं आपति की सुनवाई की गई है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के दाखिल खारिज अपील संख्या–24/2018–19 में दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना–पतरातू जिला–रामगढ़ के खाता सं०–118 सर्वे खतियान में मनोरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता के नाम से रैयती दर्ज है। खतियानी रैयत सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता का नावल्द फौत कर गये है। मनोरंजन दास के मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र सोमेन दास गुप्ता खाता सं०–118 के भूमि पर दखलकार हुए। सोमेन दास गुप्ता ने खाता सं०–118 प्लॉट सं०–87 रकवा–0.32 ए०, प्लॉट सं०–209 रकवा–0.16 ए०, प्लॉट सं०–210 रकवा–0.08 ए०, प्लॉट सं०–212 रकवा–0.12 ए०, प्लॉट सं०–305 रकवा–0.09 ए०, प्लॉट सं०–304 रकवा–2.70 ए०, प्लॉट सं०–398 रकवा–0.94 ए०, प्लॉट सं०–399 रकवा–0.21 ए०, प्लॉट सं०–401 रकवा–0.94 ए०, प्लॉट सं०–822 रकवा–0.04 ए०, कुल रकवा–4.97 ए० भूमि निबंधित केवाला सं०–IV 15 दिनांक–12.12.2003 से रमेश गोप, पिता–श्री रामदेव गोप को मुख्तारनामा कर दिया। रमेश गोप ने मुख्तारनामा से प्राप्त भूमि 4.97 ए० मध्ये 0.23½ ए० भूमि फर्जी निबंधित केवाला–3267, दिनांक–22.10.2014 से श्रीमती चिना देवी वगै० को बिक्रय कर दिया गया। उक्त केवाला के बारे में रिवीजनकर्ता को जनकारी नहीं दी गई और उन्हें भूमि का भुगतान नहीं किया गया इसलिए रिवीजनकर्ता ने दिनांक–22.05.2014 को मुख्तारनामा रद्द करने हेतु कार्रवाई की गई। उन्होनें रिवीजनकर्ता के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में स्वत्व वाद संख्या–100/2015 दायर

किया गया है। लेकिन उक्त वाद में स्थगन आदेश पारित नही किया गया है। जिसके कारण दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–118 प्लॉट नं०–401, रकवा–0.2350 ए० भूमि सर्वे खतियान में मनोरंजन दास गुप्ता, सुभाष रंजन दास गुप्ता एवं चितरंजन दास गुप्ता के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि निबंधित केवाला संख्या–3267, दिनांक–27.10.2014 से भूमि के वास्तविक मालिक से प्राप्त मुख्तारनामा के आलोक में भूमि बिक्री की गई है। अंचल अधिकारी, पतरातू में भी प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि का जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–134/1 पर पॉवर ऑफ एटोनिकर्ता सोमेन दास गुप्ता के पिता–मनोरंजन दास गुप्ता वगै० नाम से जमाबंदी कायम है तथा रसीद निर्गत हो रहा है। खरीदगी भूमि पर क्रेताओं का दखल कब्जा है। इसलिए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। विपक्षी का कहना है कि मुख्तारनामा दिनांक–04.01.2014 को रमेश गोप को दिया गया। रमेश गोप ने दिनांक–27.10.2014 को केवाला द्वारा श्रीमती चिंता देवी वगै० को भूमि बिक्री कर दिया। लेकिन केवाला करने से पहले ही दिनांक–22.05.2014 को उक्त मुख्तारनामा को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्तारनामा दिनांक–22.05.2014 नहीं दिनांक–12.02.2015 को निरस्त किया गया। जबकी केवाला दिनांक–27.10.2014 को किया गया था।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–24/2018–19 सोमेन दास गुप्ता बनाम् श्रीमति चिंता देवी वगै० में दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश को Set-aside करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
10.02.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
10.02.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.02.17 14:33:30 +05:30
Location: 192.168.0.13